उच्चतम न्यायालय और देश के अनेक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के अनेक पद रिक्त थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिक्त पदों की न्यायालयवार संख्या कितनी है और क्या सरकार ने पिछले छह महीने के दौरान इन रिक्त पदों को भरा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और शेष रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अंतिरिक्त प्रभार ((श्री दिनेश गोस्वामी): (क) से (ग) तारीख 1.1.1990 को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के रिक्त पदों और तारीख 1.1.1990 से तारीख 7.8.1990 तक देश के विभिन्न न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की की गयी नियुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिये)**

शेष रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लिए सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया चल रही है किन्तु वह तारीख बताना संभव नहीं है जब तक ये भर दिए जाएंगे।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	तारीख 01.01.90 को रिक्त पदों की संख्या	तारीख 01.01.90 से 07.08.90 तक की गई नयी नियुक्तियां
1.	इलाहाबाद	11	9
2.	आंध्र प्रदेश	9	6
3.	मुम्बई	6	9
4.	कलकत्ता	3	6
5.	दिल्ली	6	6
6.	गुवाहाटी		
7.	गुजरात	8	9
8.	हिमाचल प्रदेश	2	3
9.	जम्मू-कश्मीर	2	
10.	कर्नाटक	6	9
11.	केरल	2	
12.	मध्य प्रदेश	7	6
13.	मद्रास	6	8
14.	उड़ीसा	1	
15.	पटना	7	11
16.	पंजाब और हरियाणा	5	4
17.	राजस्थान	4	7
18.	सिक्किम	2	
	योग :	87	93
II	उच्चतम न्यायालय	2	1

सीमाशुल्क प्रशिक्षण निदेशालय में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत अनुसूचित जातियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

439. **श्री अजीत जोगी:**
श्री सुशील बरोंगपा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमाशुल्क प्रशिक्षण निदेशालय में बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दस वर्षों से भी अधिक समय से दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और अभी तक उनकी सेवाएं नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी सेवाएं कब तक नियमित कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नही होते।

नेपाल से हशीश, भांग, वस्त्रों और पिस्तौलों आदि की तस्करी

440. **श्री अजीत जोगी:**
श्री सुशील बरोंगपा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल से भारत में हशीश, भांग, सिले सिलाये वस्त्रों और चीन में निर्मित पिस्तौलों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(ग) इस प्रकार पता लगाये गये प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) से (ग) नेपाल से भारत में हशीश और सिले-सिलाये वस्त्रों सहित कपड़े की तस्करी करने के मामलों का पता लगाया गया है। तथापि, भांग और चीनी पिस्तौलों की ऐसी तस्करी का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हशीश और कपड़े की तस्करी के पता लगाये गए मामलों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है:—

??far

1987	169	112
1988	740	53
1989	546	116

सिन्थेटिक कपड़ों तथा हशीश की तस्करी में ग्रस्त पाये गये व्यक्तियों को संगत कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है/उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है तथा उन्हें नजरबन्द किया जा सकता है। इसके अलावा, सिन्थेटिक कपड़ों की तस्करी में ग्रस्त व्यक्तियों पर विभागीय न्यायनिर्णयनों में अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।

भारत-नेपाल सीमा सहित भू-सीमाओं के आर-पार से होने वाली तस्करी पर नियन्त्रण रखने के लिए तस्करी-रोधी एजेन्सियां सतर्क रहती हैं। तस्करी को रोकने के लिए सभी संबंधित एजेन्सियां सतर्क रहती हैं। तस्करी को रोकने के लिए सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है। राज्य प्रशासनों की सहायता भी ला जा रही है।

News-item Captioned 'U.S. Senate passes bill to limit textile import'

441. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the Hindu of 19th July, 1990 captioned 'US Senate passes Bill to limit textile import'; and

(b) if so, what decision has been taken by the Central Government to safeguard India's textile export to the United